कॉयर बोर्ड, एर्नाकुलम, कोचिन और अन्य

बनाम

इंदिरा देवी पी. एस. और अन्य

मार्च 4,1998

[श्रीमती सुजाता वी. मनोहर और डी. पी. वाधवा, न्यायाधिपति]

श्रम कानूनः

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-धारा 2 (जे), (जी) और (एस) और अध्याय V-ए-"उद्योग" परिभाषा -दायरा -कॉयर बोर्ड -क्या वह परिभाषा के अंतर्गत आता है -अपने कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति -क्या वह अधिनियम के अध्याय V-ए के प्रावधान को आकर्षित करता है -बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड में "उद्योग" की अवधारणा को निर्धारित करने के लिए निर्धारित परीक्षण की शुद्धता पर संदेह -बंगलौर जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड में "उद्योग" शब्द की परिभाषा के विस्तारित अर्थ के हानिकारक प्रभाव को इंगित किया है-इसलिए, बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मामले को बड़ी पीठ को भेजा गया है-श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक उचित कानून बनाने की आवश्यकता है, जिस पर जोर दिया गया है-कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953, धारा 10, प्रस्तावना और उद्देश्यों और कारणों का विवरण।

कॉयर उद्योग अधिनियम के तहत स्थापित कॉयर बोर्ड ने काम दिया था कुछ क्लर्क और टाइपिस्ट जिन्हें सेवामुक्ति दे दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि उनकी सेवाओं को केवल औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही समाप्त किया जा सकता है। केरल उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कॉयर बोर्ड एक "उद्योग" है जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है और इसके कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति अधिनियम के अध्याय **V**-ए को आकर्षित करेगी। इसलिए कॉयर बोर्ड द्वारा यह अपील। इस प्रश्न को वृहत पीठ, इस न्यायालय को संदर्भित करते हुए अभिनिर्धारित किया:

**1.** सवाल पर अनिश्चित रूप से छोड़े गए निचले मामले को देखते हुए कार्यकलापों और संगठनों को जिनके तहत औद्योगिक विवाद अधीनियम में उद्योग कहा जा सकता है और मामले में निर्धारित परीक्षण लागू करने में अंतिम दो मृतकों के अनुभव के आलोक बंगलौर जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड के लिए यह आवश्यक है कि उक्त मामले में निर्णय की फिर से जांच की जाए। औद्योगिक शांति और समुदाय के कल्याण की ओर ले जाने के बजाय (जो कि उद्योग की परिभाषा को कृत्रिम रूप से विस्तारित करने का स्वीकृत उद्देश्य था), अधिनियम को उन संगठनों पर लागू किया जाता है जो, संभवतः, उक्त अधिनियम के तहत स्थापित तंत्र द्वारा इस तरह से कवर किए जाने का इरादा नहीं था, न केवल संगठनों के लिए बल्कि रोजगार के

अवसरों में कटौती करके कर्मचारियों के लिए भी लाभ से अधिक नुकसान हुआ होगा।

बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड बनाम ए. राज्जपा **[1978] 2** एस. सी. सी. **212;** डी. एन. बनर्जी बनाम पी. आर. मुखर्जी, ए आई आर **(1953)** एससी **58**; नागपुर शहर निगम बनाम कर्मचारी, **[1960] 2** एस. सी. आर. **942**; बॉम्बे राज्य बनाम अस्पताल मजदूर सभा, ए आई आर **(1960)** एससी **610;** वर्कमैन बनाम भारतीय मानक संस्थान, ए. आई. आर. **(1976)** एस. सी. **145;** राष्ट्रीय वाणिज्यिक कर्मचारी संघ बनाम एम. आर. मेहर औद्योगिक न्यायाधिकरण, ए आई आर **(1962)** एससी **1080**; दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम राम नाथ, **(1963) 2** एल. एल. जे. **335**; सचिव, मद्रास जिमखाना क्लब कर्मचारी संघ बनाम जिमखाना क्लब का प्रबंधन, ए. आई. आर. **(1968)** एस. सी. **554**; क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया बनाम बॉम्बे लेबर यूनियन एंड एन. आर., ए. आई. आर. **(1969)** एस. सी. **276;** सफदरजंग अस्पताल का प्रबंधन बनाम कुलदिप सिंह सेठी, ए. आई. आर. **(1970)** एस. सी. **1407;** भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला बनाम के. जी. शर्मा, **[1997] 4** एससीसी **257;** डाक के उप-मंडल निरीक्षक बनाम थेय्यम जिसफ, **[1996] 8** एस. सी. सी. **489**; बॉम्बे टेलीफोन कैंटीन एम्प्लॉइज एसोसिएशन बनाम भारत संघ, **[1997] 6** एस. सी. सी. **723** और जी. एम. टेलीकॉम बनाम श्रीनिवास राव, **[1997] 8** एससीसी **767** संदर्भित किया गया।

**2.** निस्संदेह, यह सर्वोपरि महत्व का है कि एक उचित कानून गठित कर उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। यह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि दूसरे प्रकार के संगठनों में कार्यरत मजदूरों के कल्याण को प्रोत्साहित और संरक्षित किया जाता है। लेकिन बाद वाले के लिए जिस तरह के उपायों की आवश्यकता हो सकती है, वे अलग-अलग हो सकते हैं, और उन्हें ऐसे संगठनों की प्रकृति, उनकी आधारभूत संरचना और उनकी वित्तीय क्षमता के साथ-साथ उनके कर्मचारियों की जरूरतों के भी अनुरूप उपयुक्त बनाना पास सकता है।

**3.** औद्यौगिक गतिविधियों के उद्देश्य के रूप में लाभ के उद्देश्य या आय उत्पन्न करने की इच्छा के उन्मूल से बड़ी संख्या में परोपकारी और धर्मार्थ गतिविधियाँ इस अधिनियम से प्रभावित हुई हैं। इससेऐसे संगठन द्वारा पहले की गई कई कल्याणकारी गतिविधियाँ बंद हो गई हैं जिससे आम समुदाय को काफी लाभ से और कर्मचारियों को उनकी आजीविका से वंचित होना पड़ा है। ऐसी कई गतिविधियाँ हैं जो किसी भी मौद्रिक प्रतिफल को सुरक्षित करने के लिए नहीं की जाती हैं (चाहे कोई इसे आजीविका , आय या लाभ के रूप में संदर्भित करे, लेकिन अन्य लोगों के लिए उदार या अलग उद्देश्य)। इस तरह की गतिविधियों को आम तौर पर औद्योगिक गतिविधियों के बराबर नहीं किया जाएगा, लेकिन अधिनियम में "उद्योग" शब्द की न्यायिक रूप से व्यापक व्याख्या की गई है। इसके अलावा ऐसी गतिविधियों से, अन्य गतिविधियाँ भी हो सकती हैं जो की जाती हैं

सामुदायिक सेवा की भावना में, जैसे कि धर्मार्थ अस्पताल जहाँ मुफ्त चिकित्सा सेवाएँ और मुफ्त दवाएँ प्रदान की जा सकती हैं। परिभाषा की पुनः परीक्षा आवश्यकता है ताकि जब एक उद्योग में श्रमिकों को लाभ हो औद्योगिक कानून का तो इस तरह समुदाय परोपकारी और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं से वंचित न हो जो इसके कल्याण में बहुत योगदान देती हैं।

**4.** अधिनियम की धारा **2** (जे) में **1982** के संशोधन को लागू करने वाली अधिसूचना के बाद से कार्यपालिका द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है और न्यायिक व्याख्या के कारण तत्काल मामले में कठिनाई उत्पन्न हुई है। अधिनियम में "उद्योग" की परिभाषा को देखते हुए, मामले की न्यायिक रूप से फिर से जांच की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में, कॉयर बोर्ड का कार्य कॉयर उद्योग को बढ़ावा देना, इसके लिए बाजार खोलना और कॉयर उद्योग का उत्पाद अधिक विपणन योग्य बनाने के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। यह स्वयं किसी उद्योग को चलाने के लिए स्थापित नहीं है। जिस प्रमुख उद्देश्य के लिए इसे स्थापित किया गया है, उसे देखते हुए इसे उद्योग नहीं कहा जाना चाहिए। हालाँकि, अगर कोई बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड मामले द्वारा निर्धारित परीक्षणों को लागू करता है, तो यह वह संगठन है जहाँ नियोक्ता और कर्मचारी हैं। संगठन दूसरों के लाभ के लिए कुछ उपयोगी कार्य करता है। इसलिए, अधिनियम के तहत इसे एक उद्योग कहना होगा। चूंकि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अधिनियम द्वारा इस तरह के व्यापक परीक्षण पर विचार किया

गया था, और न ही ऐसा आयोजित करना संभव है जो उपयोगी सेवा करता हो और लोगों को रोजगार देता हो जिसे उद्योग के रूप में लेबल किया जा सके, इसलिए बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड में निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए एक बड़ी पीठ का गठन किया जाना चाहिए। [ 100 - डी; 101-सी-ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं 1720-21 / 1990 .

ओ. पी. सं. 4553/82 और 4529/ 1982 में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित 7.10.82 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए के. सुकुमारन और सुश्री बेबी कृष्णन।

उत्तरदाताओं की ओर से श्रीमती प्रशांत प्रसाद और एन. सुधाकरन।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

श्रीमती सुजाता वी. मनोहर, न्यायाधिपति

केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले की इन अपीलों में, हमें यह जांच करनी होगी कि क्या अपीलार्थी-कॉयर बोर्ड एक उद्योग है जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में परिभाषित किया गया है। अपीलार्थी-कॉयर बोर्ड, एर्नाकुलम, कोच्चि की स्थापना कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953 के तहत की गई है। अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है-

"(1) कॉयर उद्योग की हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में निश्चित भूमिका है। यह त्रावणकोर कोचीन के लिए बहुत बड़ा आर्थिक महत्व रखता है जहां यह केंद्रित है और विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से भी पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। हालाँकि, निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट के परिणामस्वरूप यह 1952 के मध्य से तीव्र मंदी से गुजर रहा है। उत्पादन को नियंत्रित करने, इसकी गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से निर्यात व्यापार में अवांछनीय तत्वों को समाप्त करना और आंतरिक बाजार का विकास करना ताकि निर्यात पर उद्योग की निर्भरता को कम किया जा सके, अन्य बागान उद्योगों के लिए स्थापित बोर्डों की तर्ज पर एक सांविधिक बोर्ड की स्थापना के लिए आवश्यक माना जाता है।

(2) इस उद्योग के विकास के लिए वित्तपोषण का प्रस्ताव है कि 1 रूपए तक का शुल्क प्रति सी. डब्ल्यू. टी. कॉयर फाइबर, कॉयर यार्न के साथ-साथ कॉयर मैट और मैटिंग के निर्यात पर शुल्क लगाया जाना चाहिए।" अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह एक अधिनियम है कॉयर उद्योग के विकास के लिए बोर्ड स्थापित करने का प्रावधान करने के लिए और भारत से निर्यात किए जाने वाले कॉयर धागे और कॉयर उत्पादों और संबंधित मामलों के लिए पर सीमा शुल्क लेवी करने के उद्देश्य हेतु। कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 10 बोर्ड के कार्यों को निर्धारित करती है :

धारा 10:

"बोर्ड के कार्य-(1) यह बोर्ड का कर्तव्य होगा कि कॉयर उद्योग के विकास को केंद्र सरकार के नियंत्रण के तहत ऐसे उपायों से बढ़ावा दे जो उचित समझे।

(2) उप-धारा के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

(1) उसमें निर्दिष्ट उपाय इन से संबंधित हो सकते हैं -

(ए) कॉयर धागे और कॉयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और आगे बढ़ाना। उस उद्देश्य के लिए प्रचार;

(बी) केंद्र सरकार की देखरेख कॉयर के उत्पाद के निर्माण के साथ कॉयर, कॉयर यार्न और कॉयर उत्पाद के निर्माण कोई स्पिंडल और करघे को पंजीकृत करके कॉयर भूसी, कॉयर यार्न और कॉयर उत्पादों के उत्पादन को केन्द्र सरकार की देख रेख में विनियमित करना और अन्य उपयुक्त कदम जो निर्धारित किए जा सकते हैं;

(सी) वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान करना, सहायता करना, प्रोत्साहित करना,तकनीकी कार्यों को शुरू करना, आर्थिक अनुसंधान एक या एक से अधिक अनुसंधान संस्थाओं का रखरखाव और रखरखाव में सहायता करना ;

(डी) कॉयर उद्योग से संबंधित निर्माताओं और विक्रेताओं से और ऐसे अन्य व्यक्तियों से जो निर्धारित किए जाएं आंकड़े एकत्र करना, इस प्रकार एकत्र किए गए आंकड़ों का या उनके कुछ हिस्सों या उद्धरणों का प्रकाशन;

(ई) श्रेणी मानक तय करना और आवश्यक होने पर व्यवस्था करना। कॉयर फाइबर, कॉयर यार्न और कॉयर उत्पादों के निरीक्षण की व्यवस्था करना।

(एफ) भारत में नारियल की भूसी, कॉयर फाइबर, कॉयर यार्न और कॉयर उत्पाद के विपणन में सुधार और अन्य जगहों पर अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकना;

(एफ एफ) बिजली की सहायता से कॉयर उत्पादों के उत्पादन के लिए कारखानों की स्थापना या स्थापना में सहायता करना।

(जी) भूसी के उत्पादकों और कॉयर फाइबर और कॉयर यार्न और कॉयर उत्पादों के निर्माता के मध्य सहकारी संगठन को बढ़ावा देना;

(एच) भूसी, कॉयर फाइबर के उत्पादकों को लाभकारी लाभ सुनिश्चित करना। और कॉयर धागे और कॉयर उत्पादों के निर्माता;

(आई) विश्राम स्थलों और गोदामों को लाइसेंस देना और अन्यथा कॉयर फाइबर, कॉयर यार्न और कॉयर उत्पादों दोनों के भंडारण और बिक्री को आंतरिक बाजार और निर्यात के लिए विनियमित करना;

(जे) कॉयर उद्योग के विकास से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देना;

(के) ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जाएं।

(एल) केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार और उनके अधीन बोर्ड इस धरा के तहत अपने कार्यों का पालन करेगा।"

कॉयर उत्पादों के विपणन में सुधार और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कॉयर बोर्ड, अन्य बातों के साथ, शो रूम और बिक्री डिपो का रखरखाव करता है। शो रूम का कार्य कॉयर और कॉयर उत्पादों के गुणवत्ता वाले नमूनों को प्रदर्शित करना, और उत्पादों के लिए मानस बनाना और कॉयर उत्पादों के निर्माताओं और/या व्यापारियों से खेप प्राप्त करना है। उत्पादों को शो रूम के माध्यम से बेचा जाता है जिसके लिए कॉयर बोर्ड एक कमीशन लेता है। ऐसे उत्पादों के प्रेषकों को कॉयर बोर्ड के साथ पंजीकृत होना पड़ता है और ये कॉयर निर्माताओं के निजी सहकारी होते हैं। प्रत्येक शो रूम या बिक्री डिपो में विपणन कर्मी उनकी बिक्री को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

कॉयर बोर्ड ने कुछ अस्थायी क्लर्कों और टाइपिस्टों को नियुक्त किया था जिन्हें सेवामुक्ति दे दी गई थी। उनका दावा है कि उनकी सेवाओं को केवल औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अनुसार ही समाप्त किया जा सकता है।

केरल उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने बड़ी संख्या में सरकारी विभागों, सरकारी कंपनियों,अन्य वैधानिक निगमों और स्थानीय निकायों के संबंध में उठाए गए इसी प्रकार के प्रश्न के साथ साथ अपीलार्थ कॉयर बोर्ड पर औद्यौगिक विवाद अधिनियम के लागू होने पर विचार किया। इस

न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर व्यापक रूप से विचार करने के बाद कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 'उद्योग' क्या है और इसके तहत 'कामगार' कौन है, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि कॉयर बोर्ड एक 'उद्योग' है जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में परिभाषित किया गया है। अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम का अध्याय 5-ए इसके अस्थायी क्लर्कों और टाइपिस्टों की सेवाओं की समाप्ति के संबंध में लागू होगा।

'उद्योग' को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (जे) में परिभाषित किया गया है। "किसी भी व्यवसाय, व्यापार, उपक्रम, निर्माण या नियोक्ताओं को बुलाना और इसमें कोई भी कॉलिंग सेवा, रोजगार हस्तशिल्प या औद्योगिक व्यवसाय या कामगारों की नियुक्ति शामिल है।" 'नियोक्ता' शब्द को धारा 2 (जी) में परिभाषित किया गया है इसका अर्थ है- "(i) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा या उसके अधिकार के तहत चलाए जाने वाले उद्योग के संबंध में, इस संबंध में प्राधिकारी निर्धारित ; या जहां कोई प्राधिकारी निर्धारित नहीं है, विभाग का प्रमुख; (ii) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से चलाए जाने वाले उद्योग के संबंध में प्राधिकरण, उस प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी।" धारा 2 (एस) में 'कर्मचारी' शब्द को परिभाषित गया है जिसका अर्थ है- "किसी भी उद्योग में नियोजित कोई कोई भी व्यक्ति (एक प्रशिक्षु सहित) किसी भी मैन्युअल, अकुशल, कुशल, तकनीकी कार्य करने

के लिए किसी भी उद्योग में नियोजित, किराया या पुरस्कार के लिए परिचालन, लिपिक या पर्यवेक्षी कार्य भाड़े या ईनाम के लिए करता है, चाहे रोजगार की शर्त व्यक्त या निहित हो; और औद्योगिक विवाद के संबंध में इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल किया गया है जिसे उस विवाद संबंध में या परिणामस्वरूप बर्खास्त कर दिया गया है, छुट्टी दे दी गई है या हटा दिया गया है या जिसकी बर्खास्तगी, सेवामुक्ती या छंटनी के कारण ये विवाद हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है।"

इस प्रकार, जबकि नियोक्ता को एक उद्योग के संदर्भ में परिभाषित किया गया है और श्रमिक को किसी भी उद्योग में कार्यरत व्यक्ति के रूप में भी परिभाषित किया गया है, यह शब्द ' उद्योग 'को स्वयं व्यवसाय, व्यापार, निर्माण, उपक्रम या आह्वान के रूप में परिभाषित किया गया है। जबकि 'व्यवसाय, व्यापार, निर्माण या आह्वान' शब्द काफी स्पष्ट हैं, इन चार शब्दों के साथ आने वाले 'उपक्रम' शब्द ने 'उद्योग' शब्द के अर्थ के न्यायिक विस्तार के लिए गुंजाइश दी है। 'उपक्रम' शब्द की तरह 'सेवा, रोजगार और श्रमिकों का व्यवसाय' शब्द भी कुछ हद तक अस्पष्ट होने के कारण समय-समय पर न्यायिक घोषणाओं द्वारा 'उद्योग' की अलग-अलग परिभाषाएँ दी जाती रही हैं, जब अदालतों को यह तय करने के लिए बुलाया गया था कि क्या किसी विशेष संगठन को एक उद्योग माना जा सकता है या नहीं।

इस न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक मामलों में से एक में, डी. एन. बनर्जी बनाम पी. आर. मुखर्जी, ए. आई. आर. (1953) एस. सी. 58, पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या एक नगर निगम को एक उद्योग माना जा सकता है इसके साथ इसके कर्मचारियों के विवाद को एक औद्योगिक विवाद माना जा सकता है। न्यायालय ने कहा (पैरा 13) कि 'औद्योगिक विवाद' शब्द एक ऐसे विवाद के विचार को व्यक्त करते हैं जो विपरीत पक्षों पर जुड़े श्रमिकों और नियोक्ताओं के बड़े समूहों को प्रभावित करेगा। कुछ सामान्य प्रश्नों पर जिन पर प्रत्येक समूह हितों के समुदाय द्वारा एक साथ बाध्य है -जैसे मजदूरी, बोनस, भत्ते, काम के घंटे आदि। किसी व्यापार या व्यवसाय को चलाने अनुरूप नगरपालिका की शाखाओं में विवाद को औद्योगिक विवाद जा सकता है। ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया गया था नागपुर शहर के निगम बनाम इसके कर्मचारी, [1960] 2 एससीआर 942 बॉम्बे औरअन्य राज्य में। वी. अस्पताल मजदूर सभा और अन्य, ए आई आर (1960) एससी 610 उद्योग की परिभाषा में 'उपक्रम' शब्द को उत्पादन या माल का वितरण या कर्मचारियों की सहायता से बड़े पैमाने पर समुदाय या ऐसे समुदाय के किसी हिस्से को भौतिक सेवा प्रदान करने के लिए माना जाता था। लाभ के मकसद को प्रासंगिक नहीं माना गया था। एक उद्योग के इस दृष्टिकोण में ऐसे संगठन शामिल थे जिन्हें आम तौर पर उद्योग नहीं माना जाता था। लेकिन इस न्यायालय ने कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के लिए व्यापार और

व्यवसाय के पारंपरिक अर्थ में कुछ वैद्यता को दी है जो श्रमिकों के लाभ के लिए एक कल्याणकारी उपाय था।

इस प्रकार, लाभ या आय या लाभ अर्जित करने के रूप में एक औद्योगिक गतिविधि के उद्देश्य को समाप्त करके, न्यायालय ने एक उद्योग, दान, मुफ्त दवाएं देने वाले सरकारी अस्पतालों,चिकित्सा देखभाल या अन्य परोपकारी गतिविधियों को व्यापक रूप से लागू कर दिया।यहाँ तक कि शिक्षा, मनोरंजन, अनुसंधान और इस तरह की गतिविधियाँ जो समग्र रूप से समुदाय को लाभान्वित करती हैं, 'उद्योग' के लेबल के तहत आती हैं। वास्तव में, इस तरह से 'उपक्रम' शब्द पर विचार करने से, सभी प्रकार की संगठित गतिविधियाँ जिन्हें आम तौर पर उद्योग नहीं माना जाता और जिन्हें अन्यथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत भी उद्योग नहीं माना जाता अब औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 'उद्योग 'थीं। क्योंकि यदि हम औद्यौगिक विवाद अधिनियम में 'उद्योग' की परिभाषा की भाषा देखें और नोसितुर सोशियस, का सिद्धांत लागू करके 'उपक्रम' शब्द की व्याख्या करें, 'उपक्रम' में व्यापार, व्यवसाय, वस्तुओं के निर्माण या कॉलिंग जैसी गतिविधियाँ शामिल होंगी, अन्य प्रकार की गतिविधियां नहीं होंगी।

तथापि, उसी गैर पारंपरिक व्याख्या को द वर्कमेन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन बनाम द मैनेजमेंट ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, ए. आई. आर. (1976) एस. सी. 145 के मामले में कहा कि औद्योगिक के बाद से 'उद्योग' शब्दके मामले में यह कहकर दोहराया गया

था कि उद्योग शब्द को यथासंभव व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए चूंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम श्रमिकों के कल्याण के लिए एक कल्याणकारी कानून था। इसलिए भारतीय मानक संस्थान को एक उद्योग माना गया।

इसी के साथ, इस न्यायालय और कई उच्च न्यायालयों के मामलों का एक समूह भी है जहां औद्यौगिक विवाद अधिनियम में परिभाषित 'उद्योग' शब्द को अधिक प्रतिबंधित और पारंपरिक है अर्थ दिया गया है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय वाणिज्यिक कर्मचारी संघ और अन्य बनाम एम. आर. मेहर, औद्योगिक न्यायाधिकरण, बॉम्बे और अन्य, ए आई आर (1962) एससी 1080 बम्बई राज्य का मामला बनाम अस्पताल मजदूर सभा (ऊपर) विशिष्ट था और यह माना गया कि एक उदार पेशा जैसे कि एक वकील एक उद्योग नहीं था क्योंकि वकील अपना पेशा अपने कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग से नहीं चलाता है। वह जो काम करता है उसमे अपने बौद्धिक उपकरण का प्रयोग करता है। इसी तरह के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य बनाम राम नाथ औरअन्य, (1963) 2 ई. एल. जे. 335 इस अदालत ने कहा था कि एक शैक्षणिक संस्थान एक उद्योग नहीं है।

सचिव, मद्रास जिमखाना क्लब कर्मचारी 'यूनियन बनाम जिमखाना क्लब का प्रबंधन, ए. आई. आर. (1968) एस. सी. 554 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्येक गतिविधि जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध शामिल है जरूरी नहीं कि एक उद्योग हो। मानव गतिविधियों की

विस्तृत श्रृंखला की जांच करने के बाद, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उद्योग के नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सहयोग भौतिक वस्तुओं या भौतिक सेवाओं के उत्पादन या वितरण की दृष्टि से था । एक क्लब एक उद्योग नहीं था क्योंकि इसकी सेवाएँ सदस्यों के लिए स्वयं उनके आनंद और मनोरंजन के लिए थीं और भौतिक वस्तुएँ उनके अपने उपभोग के लिए थीं। यह एक स्व -सेवारत संगठन था और कोई उद्योग नहीं था। उसी फैसले के बाद, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया बनाम बॉम्बे यूनियन और अन्य, ए आई आर (1969) एससी 276, भारतीय क्रिकेट क्लब को एक उद्योग नहीं माना गया था।

अगले वर्ष, सफदर जंग अस्पताल के प्रबंधन के मामले में, नई दिल्ली बनाम कुलदीप सिंह सेठी, ए. आई. आर. (1970) एस. सी. 1407 इस न्यायालय के छह न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से मद्रास जिमखाना क्लब के मामले (ऊपर) के अनुपात का पालन किया और माना कि सफदर जंग अस्पताल एक उद्योग नहीं था। सफदर जंग अस्पताल (उपरोक्त) के मामले में, छह न्यायाधीशों की एक पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि धारा 2 (जे) में परिभाषित एक उद्योग केवल तभी मौजूद होता है जब नियोक्ताओं और कर्मचारियों का संबंध होता है, पहला व्यवसाय, व्यापार, उपक्रम, निर्माण या नियोक्ताओं को बुलाने में लगा होता है और दूसरा किसी भी कॉलिंग सेवा, रोजगार, हस्तशिल्प या अन्य कार्यों में लगा होता है। इसलिए, एक ऐसा उद्यम होना चाहिए जिसमें नियोक्ता परिभाषा में

विस्तृत रूप से अपने व्यवसाय का करें और ऐसे श्रमिकों को नियुक्त करें जो श्रमिकों के लिए विस्तृत व्यवसायों में से एक का पालन करते हैं। लेकिन रोजगार का हर मामला आवश्यक रूप से एक उद्योग के लिए उत्पादक नहीं है। घरेलू रोजगार, लोक अधिकारियों की प्रशासनिक सेवाएँ, पेशेवर पुरुषों के व्यवसाय में सहायता की सेवा भी नियोक्ताओं और कर्मचारियों के संबंधों का खुलासा करते हैं लेकिन उन्हें उद्योग के क्रम में नहीं माना जा सकता है। इसे व्यापार या व्यवसाय या निर्माण या आह्वान का निश्चित चरित्र धारण करना चाहिए या भौतिक वस्तुओं या भौतिक सेवाओं के परिणामस्वरूप एक उपक्रम के रूप में वर्णित होने में सक्षम होना चाहिए। यदि किसी अस्पताल, नर्सिंग होम या औषधालय को व्यावसायिक तरीके से एक व्यवसाय के रूप में चलाया जाता है, तो वहां एक उद्योग के तत्व पाए जा सकते हैं। सरकारी और यहां तक कि निजी संघों द्वारा संचालित अस्पताल भी वाणिज्यिक आधार पर नहीं लेकिन धर्मार्थ आधार पर, या सरकारी स्वास्थ्य विभाग के हिस्से के रूप में कार्य कर रहे अस्पताल को उद्योग की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता है। उद्योग की परिभाषा के पहले और दूसरे भागों को अलग-अलग नहीं पढ़ा जाना चाहिए जैसे कि वे अलग-अलग उद्योग थे, बल्कि केवल एक उद्योग में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के व्यवसाय के पहलुओं के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। वे एक उद्योग में दो समकक्ष हैं।

इसी स्थिति को पहले मद्रास जिमखाना क्लब (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दोहराया गया था, जहां इस न्यायालय ने उद्योग की परिभाषा को दो भागों में व्याख्या की थी। इसके पहले भाग में इसका मतलब कोई भी व्यवसाय, व्यापार, उपक्रम, निर्माण या नियोक्ताओं को बुलाना है। परिभाषा का यह भाग कुछ गतिविधियों के संबंध में नियोक्ताओं के व्यवसाय के संदर्भ में एक उद्योग का निर्धारण करता है। इन गतिविधियों को पाँच शब्दों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है और वे निर्धारित करते हैं कि एक उद्योग क्या है और संज्ञानात्मक अभिव्यक्ति "औद्योगिक" का उद्देश्य क्या है। दूसरा भाग इस मामले को कर्मचारियों के दृष्टिकोण से देखता है और यह शब्द मुख्य रूप से जो दर्शाता है उसमें कुछ और शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। परिभाषा के दूसरे भाग में, किसी भी नौकरी, सेवा, रोजगार, हस्तशिल्प या औद्योगिक व्यवसाय या श्रमिकों के व्यवसाय को उद्योग की अवधारणा में शामिल किया गया है। यह हिस्सा विस्तृत अर्थ देता है। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि 'उपक्रम' शब्द को किसी भी व्यवसाय या किसी भी कार्य या परियोजना के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जो व्यवसाय या व्यापार के अनुरूप उद्यम के रूप में कार्य करता है या प्रयास करता है। इसने परिभाषा के विस्तार को सही के रूप में स्वीकार नहीं किया जैसा कि नागपुर नगर निगम बनाम इसके कर्मचारी (ऊपर) में निर्धारित किया गया है।

हालाँकि, यह दृष्टिकोण जिसकी सफदर जंग अस्पताल के मामले (उपरोक्त) में, इस अदालत के छह न्यायाधीशों के फैसले द्वारा फिर से पुष्टि को गई थी,साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के मामले (उपरोक्त) को 1978 के सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया था। बंगलौर जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड आदि बनाम ए. राजप्पा और अन्य आदि, [1978] 2 एस. सी. सी. 213 के मामले में इस अदालत के पाँच के बहुमत दो असहमति के साथ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उद्योग की परिभाषा में सभी व्यवसायों, क्लबों, शैक्षणिक संस्थानों, सहकारी समितियों, अनुसंधान संस्थान धर्मार्थ परियोजनाओं और ऐसी किसी भी चीज़ को शामिल करना जिसे संगठित गतिविधि के रूप में नहीं देखा जा सकता था जहां नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध था और वस्तुओं का उत्पादन या सेवा प्रदान की गई थी। यहां तक कि स्थानी निकायों और प्रशासनिक संगठनों के मामलों में अदालत ने एक 'प्रमुख गतिविधि' परीक्षण विकसित किया ताकि जब भी प्रमुख गतिविधि को अदालत द्वारा प्रस्तावित परिभाषा के व्यापक दायरे में शामिल किया जा सके, तो स्थानीय निकाय या संगठन को एक उद्योग माना जाएगा। यहां तक कि उन मामलों में भी जहां प्रमुख गतिविधि को इतना वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था, अदालत ने उस संगठन की उन सभी गतिविधियों को परिभाषा में शामिल किया जिन्हें उद्योग के रूप में शामिल किया जा सकता था, अपने स्वयं के पहले के परीक्षण से हटकर

कि किसी को गतिविधि की प्रमुख प्रकृति से जाना पड़ता था। वास्तव में, चंद्रचूड़, न्यायाधिपति (जैसा कि वे उस समय थे) ने देखा कि एक रक्षा प्रतिष्ठान या एक टकसाल या एक सुरक्षा प्रेस भी किसी भी मामले में इसे एक उद्योग माना जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तावित परिभाषा के सभी समावेशी दायरे से बहुत सीमित छूट दी गई थी। उदाहरण के लिए, पवित्र या धार्मिक मिशनों को छूट माना जाता था, भले ही कुछ सेवकों को भक्तों की मदद के लिए काम पर रखा गया हो। जहां आम तौर पर कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया जाता था, लेकिन रोजगार मामूली था, संगठन एक उद्योग के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं करेगा। राज्य के संप्रभु कार्यों को भी उद्योग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा, हालांकि सरकारी विभाग जिसे उद्योग के रूप में सेवा और लेबल किया जा सकता है, औद्योगिक विवाद अधिनियम से बच नहीं पाएगा।

बहुमत ने यह तय करने के लिए 'प्रमुख प्रकृति' परीक्षण निर्धारित किया कि क्या प्रतिष्ठान एक उद्योग है या नहीं (देखें पैराग्राफ 143, कृष्णा अय्यर, न्यायाधिपति):

"पैरा 143: प्रमुख प्रकृति परीक्षणः

(ए) जहाँ गतिविधियों का एक जटिल समूह, जिनमें से कुछ छूट के लिए योग्य हैं अन्य नहीं, कुल उपक्रम के कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें से कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय (उपरोक्त) के मामले की तरह 'कर्मचारी' नहीं हैं या कुछ विभाग अलग थलग होने वस्तुओं और सेवाओं के लिए उत्पादक नहीं

हैं,तब भी, सेवाओं की प्रमुख प्रकृति और विभागों की एकीकृत प्रकृति जैसा कि बताया गया है नागपुर निगम (ऊपर) असली परीक्षा होगी। सम्पूर्ण उपक्रम 'उद्योग' होगा, हालांकि वे जो परिभाषा के अनुसार 'श्रमिक' नहीं हैं उन्हें स्थिति से लाभ नहीं मिलेगा।

(बी) पिछले खंडों के बावजूद, संप्रभु कार्य, सख्ती से समझा गया, केवल छूट के लिए योग्य है न कि सरकार या वैधानिक निकायों द्वारा की गई कल्याण या आर्थिक साहसिक कार्य गतिविधियों के लिए।

(सी) संप्रभु कार्यों का निर्वहन करने वाले विभागों में भी, यदि ऐसी इकाइयाँ हैं जो उद्योग हैं और वे काफी हद तक विच्छेद करने योग्य हैं, तो उनके धारा 2(जे) के अंतर्गत आने पर विचार किया जा सकता है।

(डी) संवैधानिक और सक्षम रूप से अधिनियमित विधायी प्रावधान अधिनियम की श्रेणियों के दायरे से अच्छी तरह से हटा सकते हैं जो अन्यथा इसके द्वारा कवर किया जा सकता है।"

दो न्यायाधीशों ने इस दृष्टिकोण से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि उन शब्दों के संयोजन को ध्यान में रखते हुए जिसमें एक परिभाषा दी गई है और अस्पताल मजदूर सभा (उपरोक्त) के मामले में बताए गए नोसितुर सोशियस सिद्धांत को लागू करते हुए,जब दो या दो से अधिक शब्द जोड़े जाते हैं, तो उन्हें एक दूसरे से उनका रंग लेते हुए उनके संज्ञानात्मक अर्थों में उपयोग किए जाने के रूप में समझना होगा। संदिग्ध शब्द के अर्थ

का पता उससे जुड़े शब्दों के अर्थ के संदर्भ में लगाया जा सकता है। इसलिए, धारा 2 (जे) में 'उद्योग' की परिभाषा के विस्तार के बावजूद विधायिका का यह इरादा नहीं हो सकता था कि अस्पताल धर्मार्थ आधार पर या सरकार या नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के हिस्से के रूप में चलें और शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चाहे वो निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हों या सरकार द्वारा और डॉक्टर, वकील जैसे उदार और विद्वान पेशे जिनका अनुसरण व्यक्ति की अपनी शिक्षा, बौद्धिक उपलब्धियों और विशेष विशेषज्ञता पर निर्भर है, को परिभाषा के दायरे में आना चाहिए। उनका विचार था कि यह परिभाषा उन गतिविधियों तक सीमित है जो व्यवस्थित रूप से या आदतन निजी उद्यमियों द्वारा माल के उत्पादन या वितरण के लिए कर्मचारियों के सह-निर्माण के साथ वाणिज्यिक आधार पर की जाती हैं या बड़े पैमाने पर या इसके एक हिस्से में समुदाय को भौतिक सेवा प्रदान करने के लिए की जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस न्यायालय ने पिछले निर्णयों में भी कुछ आह्वानों, सेवाओं और उपक्रमों को परिभाषा के दायरे से बाहर रखने की आवश्यकता महसूस की थी। यहां तक कि बहुमत का विचार था कि स्थिति को निपटाने के लिए विधायी अभ्यास आवश्यक था।

इस न्यायालय के बाद के फैसलों ने उन गतिविधियों और संगठनों के सवाल पर कुछ अनिश्चितता छोड़ दी है जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उद्योगों के रूप में लेबल किया जा सकता है। केवल

कुछ हाल के मामलों को ही लें, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला बनाम के. जी. शर्मा, [1997] 4 एस. सी. सी. 257 मामले में यह न्यायालय, बैंगलोर जल आपूर्ति मामला (उपरोक्त) और अन्य मामलों में प्रतिपादित उद्योग की परिभाषा पर चर्चा करने के बाद अंतत निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला एक उद्योग नहीं था। इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि बैंगलोर जल आपूर्ति (उपरोक्त) मामले में जो सिद्धान्त तैयार किए गए थे इसलिए किए थे क्योंकि इस न्यायालय ने 'उद्योग' शब्द की परिभाषा को अस्पष्ट पाया था। इसलिए, बैंगलोर जल आपूर्ति में यह जानने के लिए कि क्या संप्रभू कार्य माना जा सकता है, इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित 'पारंपरिक' परीक्षण को लागू करते समय, संप्रभु कार्यों की अवधारणा में परिवर्तन, एक संवैधानिक सरकार के संप्रभु कार्यों की अवधारणा में परिवर्तन जिसमें विभिन्न कार्य शामिल थे, को ध्यान में रखना था। भौतिक अनुसंधान की गतिविधि प्रयोगशाला औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत एक उद्योग की परिभाषा के दायरे में नहीं आएगी।

उप-विभागीय डाक निरीक्षक, वेकम और अन्य बनाम थेय्यम जोसेफ और अन्य [ 1996 ] 8 एस. सी. सी. 489, के मामले में पहले के एक फैसले में, डाक के उप-विभागीय निरीक्षक की स्थापना को एक उद्योग नहीं माना गया था, लेकिन एक संप्रभु कार्य के अभ्यास के रूप में माना गया था। बॉम्बे टेलीफोन कैंटीन कर्मचारी संघ, प्रभादेवी टेलीफोन एक्सचेंज बनाम भारत संघ और अन्य [1997] 6 एस. सी. सी. 723, इस अदालत

ने मामले के कानून की जांच करने के बाद कहा कि टेलीफोन निगम लिमिटेड की विभागीय कैंटीन में कार्यरत और सिविल पदों पर कार्यरत कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अर्थ के भीतर कर्मचारी नहीं थे। तथापि, सिविल अपील सं. 7845/1997 महाप्रबंधक, टेलकॉम बनाम एस. श्रीनिवास राव और अन्य, पर न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 18.11.1997 को निर्णय लिया कि डाक के उप-विभागीय निरीक्षक (उपरोक्त) और बॉम्बे टेलीफोन कैंटीन कर्मचारी संघ, प्रभादेवी टेलीफोन एक्सचेंज, (उपरोक्त) के मामलों का निर्णय,बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (उपरोक्त)के मामले में इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित अनुपात के मद्देनजर सही ढंग से नहीं किया गया था।

इस क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चितता को देखते हुए और बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड, (ऊपर) मामले के आधार पर निर्धारित परीक्षण के लागू करने के पिछले दो दशकों के अनुभव के आलोक में यह आवश्यक है कि बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड मामले (उपरोक्त) में निर्णय की फिर से जांच की जाए। पिछले दो दशकों का अनुभव सुखद प्रतीत नहीं होता है। समुदाय को औद्योगिक शांति और कल्याण की ओर ले जाने के बजाय (जो उद्योग की परिभाषा को कृत्रिम रूप से विस्तारित करने का स्वीकृत उद्देश्य था), औद्योगिक विवाद अधिनियम का अनुप्रयोग ऐसे संगठन पर करने से, जो संभवतः औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत स्थापित मशीनरी के दायरे में आने का इरादा नहीं रखते थे, न केवल

संगठनों के लिए बल्कि रोजगार के अवसर कम होने से कर्मचारियों के लिए भी लाभ से अधिक हानि हुई होगी ।

निस्संदेह, यह सर्वोपरि महत्व का है कि उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक उचित कानून बनाया जाए। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अन्य प्रकार के संगठनों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण को भी बढ़ावा दिया जाए और उन्हें संरक्षित किया जाए। लेकिन बाद के लिए किस प्रकार के उपायों की आवश्यकता हो सकती है वह अलग अलग हो सकता है और उनको ऐसे संगठनों परिपक्वता,उनके बुनियादी ढांचे और उनकी वित्तीय क्षमता के साथ-साथ उनके कर्मचारियों की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना होगा।

औद्योगिक गतिविधि के उद्देश्य के रूप में लाभ के उदेश्य या आय उत्पन्न करने की इच्छा के उन्मूलन के कारण बड़ी संख्या में परोपकारी और धर्मार्थ गतिविधियाँ औद्योगिक विवाद अधिनियम से प्रभावित हुई हैं। कई मामलों में जहां संगठन स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जाता है, वे औद्योगिक विवाद अधिनियम की आवश्यकताओं का सामना करने में असमर्थ होते हैं। इसके कारण ऐसे संगठनों द्वारा पहले की गई कई कल्याणकारी गतिविधियों को बंद कर दिया गया है, जिसने आम समुदाय को काफी लाभ और कर्मचारियों को उनकी आजीविका से वंचित कर दिया है। ऐसी कई गतिविधियाँ हैं जो किसी भी मौद्रिक लाभ को सुरक्षित करने की दृष्टि से नहीं की जाती हैं-चाहे कोई इसे आजीविका, आय या लाभ के

रूप में लेबल करे, लेकिन अन्य अधिक उदार या अलग उद्देश्यों के लिए की जाती हैं। इस तरह की गतिविधियों को आम तौर पर औद्योगिक गतिविधियों के रूप में लेबल नहीं किया जाएगा, लेकिन औद्योगिक विवाद अधिनियम में 'उद्योग' शब्द को न्यायिक रूप से दी गई व्यापक व्याख्या के लिए किया जाएगा । उदाहरण के लिए, कई स्वैच्छिक संगठन कार्यशालाएँ चलाते थे ताकि गरीब और विशेष रूप से गरीब या बेसहारा महिलाएँ कुछ आय अर्जित कर सकें। स्वैच्छिक कल्याण संगठन मसाले, मसाला, अचार तैयार करने जैसी गतिविधियों का आयोजन करते थे या वे गरीब महिलाओं के लिए उद्योगों से छोटे ऑर्डर प्राप्त करते थे। गतिविधियों में सहायता के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया गया था। इनसे अर्जित आय जिन महिलाओं को ऐसा काम दिया गया था, उन्हें वितरित की गईं। अन्य स्वैच्छिक संगठन सिलाई या कढ़ाई या इसी तरह की कक्षाओं का आयोजन करते थे। गरीब महिलाओं के लिए गतिविधियाँ और उनके द्वारा उत्पादित काम की बिक्री के लिए एक आउटलेट प्रदान किया। अन्यथा इन व्यक्तियों को अपने उत्पादों के लिए एक बाजार को सुरक्षित करना असंभव लगता। ऐसे संगठन उद्योगों की तरह संगठित नहीं होते हैं और उनके पास उन्हें उद्योगों के रूप में चलाने के लिए साधन या श्रमशक्ति नहीं होती है। उद्योग शब्द की व्यापक व्याख्या के कारण बड़ी संख्या में ऐसी स्वैच्छिक कल्याणकारी योजनाओं को छोड़ना पड़ा है।

ऐसी गतिविधियों के अलावा, अन्य गतिविधियाँ भी हो सकती हैं जो सामुदायिक सेवा की भावना से की जाती हैं, जैसे कि धर्मार्थ अस्पताल जहाँ मुफ्त चिकित्सा सेवाएँ और मुफ्त दवाएँ प्रदान की जा सकती हैं। ऐसी गतिविधियाँ पेशेवर पुरुषों और महिलाओं द्वारा दी जाने वाली मुफ्त सेवाओं और दान द्वारा जारी रखा जा सकती हैं। कभी-कभी इस तरह की गतिविधियों को उस गतिविधि के भुगतान किए गए खंड में लाभ का उपयोग मुफ्त खंड में मुफ्त सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इन अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर बिना किसी लाभ के या कभी-कभी बहुत मामूली शुल्क के लिए काम कर सकते हैं। सौभाग्य से, परोपकारी प्रवृत्ति विलुप्त होने से बहुत दूर है। क्या ऐसे परोपकारी संगठनों को उद्योग कहा जा सकता है? इस परिभाषा की फिर से जांच करने की आवश्यकता है, ताकि किसी उद्योग में श्रमिकों को औद्योगिक कानून का लाभ मिले, लेकिन समुदाय परोपकारी और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं से वंचित न रहे, जो इसके कल्याण में इतना योगदान देते हैं। शैक्षिक सेवाएँ और शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, व्यावसायिक गतिविधियों, या मनोरंजक गतिविधियों में शिक्षकों द्वारा किए गए कार्य, शौकिया खेल, कला-ललित कला और प्रदर्शन कला को बढ़ावा देना, शिल्प और विशेष कौशल को बढ़ावा देना, इन सभी और इसी तरह की कई अन्य गतिविधियों पर भी इस संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है।

वास्तव में, 1982 में, विधानमंडल ने स्वयं 1982 के संशोधन अधिनियम 46 को अधिनियमित करके औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत 'उद्योग' की परिभाषा में संशोधन का निर्णय लिया। 1982 के संशोधन अधिनियम 46 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में, खंड 2 स्पष्ट रूप से बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय और औद्योगिक विवाद अधिनियम में उद्योग शब्द की परिभाषा को दी गई व्यापक व्याख्या का उल्लेख करता है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार कहा गया हैः

सर्वोच्च न्यायालय ने बंगलौर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम राज्जपा ; ए. आई. आर. (1978) 2 एस. सी.सी. 213 [1978] एस. सी. सी. (एल और एस) 215 ; ए.आई. आर. (1978) एस. सी. 548 में अपने निर्णय में "उद्योग" की परिभाषा की व्याख्या करते हुए कहा यह देखा कि- "जैसा कि अधिनियम में निहित है, सरकार उपयुक्त विधायी उपायों द्वारा इस परिभाषा का पुनर्गठन कर सकती है। तदनुसार "उद्योग" शब्द को फिर से परिभाषित करने का प्रस्ताव है। ऐसा करते हुए, इस अभिव्यक्ति के दायरे से कुछ संस्थानों को बाहर करने का प्रस्ताव है जैसे अस्पताल और औषधालय, शैक्षिक, वैज्ञानिक, शोध या प्रशिक्षण संस्थान, धर्मार्थ, सामाजिक कार्यों में लगे संस्थान और परोपकारी सेवाएँ, आदि, ऐसे संस्थान और औद्योगिक वातावरण से अलग माहौल बनाए रखने की अवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे संगठानों को परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा से

संबंधित गतिविधियों सहित सरकार के संप्रभु कार्यों को बाहर करने का भी प्रस्ताव है। हालांकि, इन गतिविधियों की विशेष विशेषताओं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनकी महिला को भी सुरक्षा की आवश्यकता है, इन संस्थानों के कामगारों के संबंध में व्यक्तिगत शिकायतों के निपटान के साथ-साथ सामूहिक निपटान के लिए एक अलग कानून का प्रस्ताव है। इन सभी शब्दों को "उद्योग" शब्द को अधिक व्यापक बनाने के लिए विशिष्ठ बनाया था।"

दुर्भाग्य से, विधायी आदेश होने के बावजूद कार्यपालिका द्वारा परिभाषा को लागू होने के रूप में अधिसूचित नही किया गया है।

चूंकि औद्यौगिक विवाद अधिनियम में "उद्योग" की परिभाषा को दी गई न्यायिक व्याख्या के कारण कठिनाई उत्पन्न हुई है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि मामले की न्यायिक रूप से पुनः जांच न की जाए।

चूंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम में "उद्योग" की परिभाषा को दी गई न्यायिक व्याख्या के कारण कठिनाई उत्पन्न हुई है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि मामले की न्यायिक रूप से पुन: जांच न की जाए। वर्तमान मामले में, कॉयर बोर्ड का कार्य कॉयर उद्योग को बढ़ावा देना, इसके लिए बाजार खोलना और कॉयर उद्योग के उत्पादों को अधिक विपणन योग्य बनाने के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। यह किसी उद्योग को चलाने के लिए ही स्थापित नहीं किया गया है। जिस प्रमुख उद्देश्य के लिए इसे स्थापित किया गया है, उसे देखते हुए हम इसे उद्योग नहीं कहेंगे। हालाँकि,

यदि कोई बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के मामले (उपरोक्त) द्वारा निर्धारित परीक्षणों को लागू करता है ,यह एक ऐसा संगठन है जहां नियोक्ता और कर्मचारी हैं। संगठन दूसरों की भलाई के लिए कुछ उपयोगी कार्य करता है। अत: इसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत एक उद्योग कहना होगा।

हमें नहीं लगता कि औद्यौगिक विवाद अधिनियम में इस तरह के व्यापक परीक्षण पर विचार किया गया था, न ही हम यह सोचते हैं कि प्रत्येक संगठन जो उपयोगी सेवा करता है और लोगों को रोजगार देता है, उसे उद्योग के रूप में लेबल किया जा सकता है। हम, इसलिए, निर्देश देते हैं कि इस मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए ताकि इस बात पर विचार किया जा सके कि बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले पर फिर से विचार करने के लिए एक बड़ी पीठ का गठन किया जाना चाहिए या नहीं।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक चित्रा भदौरिया द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।